कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-107/2016-17/

दिनांक : /06/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- कल्जीखाल

जिला- पौड़ी गढ़वाल

विषय : क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **02** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **04** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 107/2016-17/ दिनांक: /06/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखौंड, निकट आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा मार्ग, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक के लिये क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लॉक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री - ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

श्री - खण्ड विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम
(i) श्री वी.पी.सिहं, ले.प.अ.
(ii) श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ.
(iii) श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ.
(iv) श्री रवीन्द्र सिंह, ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथिः 04 मार्च 2017 से 10 मार्च 2017

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम :**. क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 87

भौगोलिक क्षेत्र :- 18193.51 हेक्टेयर

जनसंख्या : 29287

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 23

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 03

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 11

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां :

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा
(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -
(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-
(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : -

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है:-

भाग-4 (अ)

(क) **परिचयात्मकः**- कार्यालय **क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल, जनपद-गढ़वाल** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष **2014** से **2016** तक की सम्प्रेक्षा श्री वी.पी.सिहं, ले.प.अ., दिनांक **4 मार्च 2017** से **10 मार्च 2017** तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.	**प्रस्तर भाग 2(अ)**	**प्रस्तर भाग 2(ब)**
	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर --

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची --

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -

भाग 4 खण्ड़ ब-1

प्रस्तर 1:- राज्य वित्त आयोग योजना अन्तर्गत निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने से ` 16.83 लाख का निष्फल व्यय सिद्ध होना।

क्षेत्र पंचायत के राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की जांच में देखा गया कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्यों में से 36 कार्य स्वीकृत के 4 से 8 वर्ष बाद भी सम्प्रेक्षा की तिथि (मार्च 2017) तक पूर्ण नहीं हो सके थे जबकि उक्त कार्यों पर कार्यालय द्वारा ` 16.83 लाख व्यय किया जा चुका था। आगे यह भी देखा गया कि विगत वर्षों में इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु न तो कोई प्रयास किया गया और न ही कार्यों की अवशेष धनराशि निर्गत की गयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शासन से धनराशि प्राप्त होने पर इन कार्यों को पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। कार्यों की अपूर्णता के लिए तात्कालिक क्षेत्र पंचायत एवं कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्वतीय भौगोलिक क्षेत्र में 4 से 8 वर्ष पूर्व सम्पादित छोटे-छोटे कार्यों का क्षतिग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है तथा उन्हें पुनः नये सिरे से ही प्रारम्भ करना होगा।

अतः 36 निर्माण कार्यों के विरुद्ध ` 16.83 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2 (अ):- उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानों के विरुद्ध तथा कार्य आवंटन से पूर्व ही ठेकेदार को ` 60.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत कर लाभ पहुँचाया जाना।

उत्तराखण्ड़ सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विकास खण्ड़ में (i) क्रीड़ा मैदान का विस्तारीकरण पार्ट 1 लागत ` 60.00 लाख तथा (ii) विकास खण्ड़ कल्जीखाल के विभिन्न स्थानों पर 20 यात्री शेड के निर्माण लागत ` 50.00 लाख की तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उत्तरखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम 12(1) से (3) के अनुसार ` 25.00 लाख अथवा अधिक के लागत के कार्यों के आवंटन सूचना हेतु राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित कर निविदायें आमंत्रित कर प्रतियोगी दरों के आधार पर कार्य का आवंटन करना चाहिए। अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानो के अनुसार कार्य के विरुद्ध दिया जाने वाला अग्रिम क्रय-सामग्री के विरुद्ध दिया जाना चाहिए तथा शीघ्र ही उसका समायोजन किया जाना चाहिए।

इकाई की लेखापरीक्षा (मार्च 2017) में अभिलेखों की जांच में देखा गया कि अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्रावधानो के विरुद्ध स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञाप्ति प्रकाशित कर तीन निविदा पत्रों के आधार पर कार्य का आवंटन किया गया था। (जूलाई 2015) विज्ञप्ति

अभिलेखों की जाँच में आगे देखा गया कि ठेकेदार को दोनों कार्यों के विरुद्ध कार्य आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व ही अग्रिम जारी किये गये थे, विवरण निम्न थाः-

कार्य का नाम एवं लागत	**कार्य आवंटन की तिथि**	**अग्रिम की राशि एवं तिथि**
(i) कल्जी खाल परिसर में क्रीडा मैदान का विस्तारीकरण पार्ट-1 ` 60.00 लाख	10.07.2015	` 35.00 लाख दिनांक 05.07.2015
(ii) कल्जीखाल में विभिन्न स्थानों पर 20 यात्री शेड का निर्माण कार्य ` 50.00 लाख	10.07.2015	` 25.00 लाख दिनांक 05.07.2015

अग्रिम हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित था कि कार्य 70 प्रतिशत सम्पादित किया जा चुका है, जबकि कार्य आदेश ही 10.07.2015 को निर्गत किया गया था।

इस प्रकार कार्य के आवंटन एवं इसके पूर्ण ही ठेकेदार को ` 60.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत कर ठेकेदार को लाभ पहुँचाया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि त्रुटिवश कार्य आदेश में 10.07.2015 कि तिथि अंकित हो गयी है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तिथि स्पष्ट एक से दोनों कार्यादेशों में उल्लखित है।

अतः कार्य आवंटन के पूर्व ही तथा उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध ठेकेदार को ` 60.00 लाख के अग्रिम दिये जाने का तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 2(ब):- तकनिकी सुझावों एवं आरेखणों का अनुपालन किये बिना ` 40.00 लाख की लागत का निर्माण कार्य कराया जाना।

राज्य सेक्टर की योजना ग्राम्य तालाबों का निर्माण एवं विकास अन्तर्गत विकास खण्ड़ कल्जीखाल के ग्राम चोपड़ा में मतस्य पालन हेतु सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा ` 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी गयी थी:-

- **(i)** कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- **(ii)** कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों/भूग्रभवेन्ता से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाये, तथा निरीक्षण पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुद्ध ही कार्य कराया जाये।
- **(iii)** कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली-2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

योजना के सम्बन्ध में आगणन गठित कर ` 40.00 लाख की तकनिकी सेवा, पौड़ी द्वारा प्रदन्त थी। (मई 2014)

जनपद मत्सय प्रभारी, पौड़ी द्वारा तालाब के सम्बन्ध में तकनिकी सलाह एवं ले-आउट पर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था (अप्रैल 2015), जिसके पूर्व ही (मार्च 2015), कार्य की तकनिकी स्वीकृति एवं आरेखण/आगणन की स्वीकृति दी गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट था कि सत्स्य प्रभारी, पौड़ी द्वारा प्रदन्त सुझावों को कार्य के क्रियान्वयन में शामिल नहीं किया गया था जो निम्नवत थीः-

- **(i)** प्रस्तावित तालाब का प्रमुख उद्देश्य मत्स्य उत्पादन है ऐसे में 30 वर्ग मी. की 3 छोटी नर्सरी ही पर्याप्त होगी।
- **(ii)** मतस्य तालाब पिरयोजना में प्रथम वर्ष का वार्षिक निवेश मत्स्य बीज संचय, मत्स्य आहार जाल एवं आवश्यक दवा क्र.य हेतु ` 1.00 लाख का आवश्य किया जाये।
- **(iii)** संलग्न ले आउट के अनुरुप तालाब निर्माण कर प्रत्येक तालाब में 1 ईंच की चिकनी मिट्टी अवश्य डाली जाये।

इकाई की लेखा परीक्षा में देखा गया कि मत्स्य विभाग की तकनिकी सुझावों को सम्मिलित किये बिना ही कार्य के आगणन की स्वीकृति तथा उसका क्रियान्वयन किया गया था, जिसकी पुष्टि खण्ड़ विकास अधिकारी, कल्जीखाल के पत्र से होती है। कार्य का आवंटन भी स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञाप्ति प्रकाशित कर की गयी थी, जिससे कार्य की स्वीकृति के अधिप्राप्ति नियमावली के अनुपालन सम्बन्धी शर्त का उल्लघंन होता है।

इस प्रकार कार्य का क्रियान्वयन जिला मत्स्य प्रभारी, पौड़ी के सुझावों को सम्मिलित किये बिना किया गया था अतः अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नकारात्मक रुप से प्रभावित हुयी।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि मत्स्य निरीक्षक द्वारा निर्माण की जाँच की गयी है परन्तु इकाई कोई जाँच आख्या लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर सकी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तालाब के निर्माण में जिला मत्स्य प्रभारी के सुझावों तथा तकनिकी आरेखणों को सम्मिलित किये बिना ही कार्य सम्पादित कराया गया है तथा कार्य के आवंटन में अधिप्राप्ति नियमावली के आवंटन सम्बन्धी प्रावधान का उल्लघंन भी किया गया है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 खण्ड़ ब-2

प्रस्तर 1:- ` 8.91 लाख की अर्जित ब्याज की धनराशि को शासकीय खातों में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के प्रस्तावित आदेशानुसार[1] विभागों को विभिन्न मदों में प्राप्त धनराशि जैसे राज्यवित्त, केन्द्रीय वित्त, विधायक निधि, सांसद निधि मनरेगा आदि से, जो कि विभागों के बैंक खातों में लम्बे समय तक पड़ा होता है, उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि को अविलम्ब शासकीय खाते में (0049 ब्याज प्राप्तियां) में जमा किया जाना चाहिए।

इकाई के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2017) में देखा गया कि इकाई के खातों में ` 8.91 लाख अवसेष पड़े थे, जिसे शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अर्जित ब्याज की धनराशि को शीघ्र राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 खण्ड़ ब-2

प्रस्तर 2:- ` 11.12 लाख के व्ययो परान्त एवं एक वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरान्त भी कार्य का अपूर्ण रहना।

---

[1] पत्रांकः 347/वि.आ. निदे. (तृ.रा.वि.आ.) 2013 दिनाक- 17 जनवरी - 2013 ।

महिला सश्क्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के योजनाअन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु आगणन तैयार कर स्वीकृति दी गयी थी।[2] आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में जारी कार्य आदेश निम्न शर्तों के अधीन थाः-

(i) कार्य का तीन माह में पूर्ण करना था।

(ii) कार्य का अग्रिम धनराशि का भुगतान व्यय बाउचर मस्टर रोल प्रस्तुत करने पर कनिष्ट अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

(iii) निर्माण कार्य कराने से पूर्व कार्यस्थल का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

इकाई की लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि कार्य आदेश के अनुक्रम में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के कार्य स्थल के फोटोग्राफ संलग्न नही थे तथा कार्य की स्वीकृति रु. 18.00 लाख के विरुद्द अवमुक्त धनराशि रु. 11.12 लाख को कार्य आदेश जारी किये जाने के एक माह के पश्चात् ही बिना किसी व्यय वाउचर एवं मस्टर रोल के ग्राम प्रधानों के खातों में हस्तान्तरित कर दिया गया था। (अप्रैल 2016)। कार्य आदेश जारी किये जाने के एक वर्ष की अवधि बीत जाने के उपरान्त (मार्च 2017) भी कार्य की भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही था। कार्य के विरुद्द निर्गत धनराशि की उपयोगिता के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी था।

इस प्रकार कार्य की स्वीकृति के उपरान्त तथा आवश्यक धनराशि निर्गत के एक वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद भी कार्य के पूर्ण न होने से सम्बन्धित ग्राम उसके लाभ से वंचित थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की स्वीकार करते हुये बताया गया कि एक आंगन बाड़ी केन्द्र का निर्माण किया जा चुका है, परन्तु निरीक्षण आख्या/पूर्णता सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध नही था। उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः ` 11.12 लाख के व्ययोपरान्त एवं अपूर्ण रहने का तथ्य संज्ञान में लाया जाता हैं।

---

[2] (i) कार्य का तीन माह में पूर्ण करना था।
(ii) कार्य का अग्रिम धनराशि का भुगतान व्यय बाउचर मस्टर रोल प्रस्तुत करने पर कनिष्ट अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।
(iii)निर्माण कार्य कराने से पूर्व कार्यस्थल का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

प्रस्तर 3:- तकनिकी विशिष्टियों के विरुद्द ` 33.44 लाख का कार्य सम्पादित कराया जाना।

मेरा गाँव मेरी सडक योजना अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत, कल्जीखाल में दो कार्य योजनाएं स्वीकृत की गयी थीं, जो निम्नवत् थीः-

(i) विल्खेत बाड्यू मोटर मार्ग चोपड़ा से झरने तक हल्का वाहन (सी.सी.) मार्ग का निर्माण, लागत ` 63.55 लाख

(ii) बहेड़ा खाल अलासू मोटर मार्ग से अलासू गाँव तक हल्का वाहन (सी.सी.) मार्ग का निर्माण लागत ` 77.45 लाख

इकाई की लेखा परीक्षा (मार्च 2017) में देखा गया कि दोनों आगणनों की लागत को कम करके प्रत्येक की ` 35/- लाख की तकनिकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। कार्य के मूल आगणन के अनुसार बिल्खेत बाड्यू मोटर मार्ग की 1000 मी लम्बाई एं 3.00 मीटर तथा बछेडा खाल अलासू मोटर मार्ग 100 मी. लम्बाई एवं 3.00 मीटर चौड़ाई में स्वीकृत था, कार्यों के स्टेज-1 में मिट्टी कटिंग का कार्य, जल की निकासी हेतु जगह-जगह स्क्रबर एवं नाली का कार्य, सुरक्षा दीवार निर्माण तथा पैराफिट निर्माण कार्य प्राविधानित था। स्टेज-2 के अन्तर्गत डब्लयू.बी.एम निर्माण कार्य व सी.सी. निर्माण कार्य प्रावधानित था। अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि उक्त दोनों कार्यों के विरुद्द कटिंग का कार्य एवं बिल्लेख बाड्यू मोटर मार्ग पर सुरक्षा दीवार का कार्य भी हो गया है, परन्तु नाली एवं सी.सी. का कार्य नही हुआ था। दोनों कार्यों के विरुद्द राज्यांश से ` 33.44 लाख व्यय किया जा चुका था। इस प्रकार गठित आगणन के विरुद्द कार्य की तकनिकी स्वीकृति प्राप्त कर स्टेज-1 से सम्बन्धित कार्य कराये गये जिस पर ` 33.44 लाख व्यय किया गया। नाली एवं सी.सी. निर्माण के न कराये जाने से सम्पादित कार्य की सुरक्षा एवं उपयोगिता अर्थपूर्ण नही थी।

शेष कार्यों के बारे में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अवशेष कार्य को मनरेगा से कराया जा रहा है इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कार्य के गठित आगणन में प्रावधानित तकनिकी विशिष्टियों में परिवर्तन कर आधे-अधूरे कार्य को सम्पादित कर ` 33.44 लाख की राशि व्यय की गयी है, जो कि सुरक्षात्मक कार्यों के बिना निष्फल रहेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 4:-भवन एवम् अन्य सन्निमार्ण कर्मकार अधिनियम, 1996 एवम् कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली-1998 के अनुक्रम में उपकर का प्रावधान एवं कटौती न किया जाना।

निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम-भवन एवम् अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवम् सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवमं भवन एवमं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत अधि नियमित किये गये हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं जैसे, पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रुप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जान हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं। उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिये धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्यों की लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रुप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सरकारी/ गैर सरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हों।

उपरोक्त प्रावधान के अनुक्रम में समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मण्डी परिषद के समस्त उपनिदेशक (निर्माण) तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिशासी अधिकारी को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवम् संग्रहण अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया (अप्रैल 21013)।

इकाई की लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्माण कार्यों में आगणन में उक्त उपकर का प्रावधान नहीं किया गया था और न ही ठेकेदारों के बिलों से उपकर की क़टौती की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में श्रमिको के कल्याण के सम्बन्ध में प्रावधानित उपकर का आगणन में प्रावधान कर कटौती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग- चार अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका कार्यस्थल पर समाधान नहीं हो सका उन्हें निरिक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत कल्जीखाल को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसकी अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून को प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेज दें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

भाग तीन

वित्तीय वर्ष **(` लाख में)**

मद का नाम	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
प्रारम्भिक अवशेष	101.76	89.89	106.16
राज्य वित्त आयोग	9.13	36.09	24.14
केन्द्रीय वित्त आयोग	19.01	25.53	6.85
हरियाली	1.80	-	-
इन्दिरा आवास	-	-	-
दैवीय आपदा	-	-	-
सांसद निधि	12.15	2.25	16.50
विधायक निधि	42.15	10.44	14.50
दीनदयाल आवास	0.04	0.75	-
एस.जी.एस.वाई.	0.37	-	-
सार्वभौम योजना	0.35	-	-
क्रेडिट-सब्सिडी	1.30	2.80	3.46
बायोगैस	0.20	-	-
क्षे.पं.वि.नि.	8.41	7.24	7.25
पंचायत सशस्कतीकरण पुरस्कार	20.34	-	-
जायका	-	19.34	9.76
पि.क्षे. विकास नि.	-	24.40	242.66
मेरी गाँव मेरी सड़क	-	-	52.50
ब्याज	3.17	4.76	8.18
योग	**220.49**	**223.49**	**491.96**
वर्ष के दौरान कुल व्यय	**130.60**	**117.33**	**335.82**
अंतिम अवशेष	**89.89**	**106.16**	**156.14**

लेखे पर टिप्पणीः-

1. वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्त में ब्याज मद में ` 8.18 लाख की राशि शेष थी, जिसे राजकोष में जमा किया जाना आपेक्षित था।
2. वित्तीय वर्षों 2013-14 से 2015-16 के दौरान कुल उपलब्ध राशि का क्रमशः 59, 52 एवं 68 प्रतिशत राशि ही व्यय किया गया था।
3. सार्वभौम योजना अन्तर्गत वर्ष 2013-14 के अन्त में अवशेष राशि ` 0.22 लाख मार्च 2016 तक अवशेष था। जिसे व्यय/शासन को अभ्यर्थित (surrender) नहीं किया गया था।